

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या - 105-ज0श0 (08)/पा.का.लि0/08-6 ज0श0-(08)/98 दिनांक 26 फरवरी, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के का0ज्ञा0 स0-1002-ज0श0 (08)/पा.का.लि0-05-19 ज0श0 (08)/2004, दिनांक 01.07.2005 द्वारा गठित समिति (निदेशक (पारेषण)/(वाणिज्य) सदस्य, मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0-01) सदस्य, मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली) सदस्य, एवं मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण) समन्वय अधिकारी) को निम्नांकित इकाईयों के कार्यों का पुनरीक्षण किये जाने तथा विचारोपरान्त अपनी आख्या/संस्तुति, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) को प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है :-

1. ऊर्जा लेखा निदेशालय,
2. ऊर्जा कय अनुबन्ध निदेशालय,
3. विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल, लखनऊ।
4. विशेष ऊर्जा अनुबन्ध एवं टैरिफ मण्डल।

समिति को अविलम्ब साकार रूप प्रदान किए जाने एवं उसके लिए अन्य आनुषंगिक व्यवस्थाएँ/कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का सम्पूर्ण दायित्व समन्वय अधिकारी पर होगा।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

सं0- (1) ज0श0 (08)/पा.का.लि0/08-6 ज0श0 (08)/98 तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का.लि0 से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक/निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से सम्बद्ध निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. उक्त समिति के निम्न पदाधिकारियों को का0ज्ञा0स0-1002, दि0 1.07.2005 को एक प्रति सहित उनके स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
4. निदेशक (पारेषण)/निदेशक (वाणिज्य)।
5. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली)।
6. मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण), समन्वय अधिकारी।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (ज0श0)